706

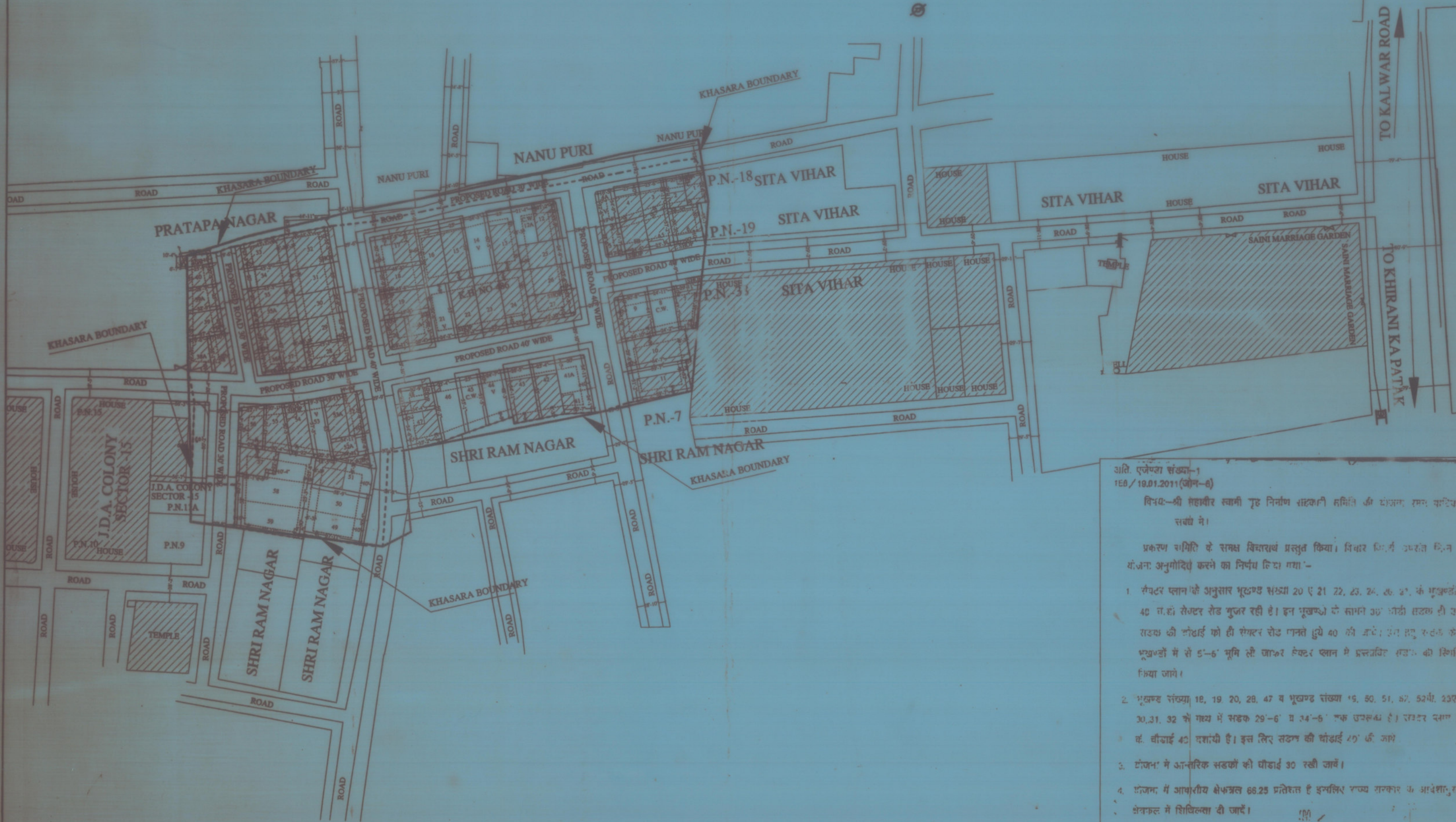
NANU PURI
NANU PURI
KHASARA BOUNDARY
PRATAPA NAGAR
P.N.-18
P.N.-19
P.N.-33
P.N.-7
SITA VIHAR
SAINI MARRIAGE GARDEN
TO KALWAR ROAD
TO KHIRANI KA PATAK
PROPOSED ROAD 40' WIDE
PROPOSED ROAD 30' WIDE
ROAD
HOUSE
J.D.A. COLONY SECTOR-15
J.D.A. COLONY SECTOR-15
P.N.11A
P.N.10
P.N.9
TEMPLE
SHRI RAM NAGAR
SHRI RAM NAGAR
SHRI RAM NAGAR

N

मास्टर विकास योजना २०११ के अनुसार भू उपयोग आवासीय

भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

| | | |
|---|---|---|
| १. | पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड - | B - 61 |
| २. | चार दीवारी निर्मित भूखण्ड - | C.W.- 3 |
| ३. | खाली भूखण्ड - | V - 3 |
| | कुल भूखण्ड - | TOTAL - 67 |

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :-

| S.NO | LAND USE | AREA (SQ.YDS) | PERCENT % |
|---|---|---|---|
| 1. | RESIDENTIAL | 9456.23 | 66.25 |
| 2. | ROAD | 4816.97 | 33.75 |
| | | | |
| | TOTAL | 14273.20 | 100% |

योजना की मौके जाँच, सर्वे क्षण एवं मास्टर विकास योजना २०११ की सड़कों भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

वास्तुविद् का नाम

रजिस्ट्रेशन नं०

योजना की भूमी की रा०भू०रा० अधिनियम की धारा ९० बी की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त-जोन

बी०पी०सी / बी० एल० सी० की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :-
**SHRI MAHAVEER SWAMI G.N.S.S.**

NAME OF SCHEME :-
**RAMAN VATIKA**

| | |
|---|---|
| ZONE NO. 6 | SECTOR NO. = |
| SCALE 1"=50' | DRG. NO. |
| D.T.P.<br>ZONE-6 | D.C.<br>ZONE-6 |
| 18/2/11<br>D.T.P.<br>(B.P.C.L.P. ) | 10/18/2/11<br>S.T.P.<br>(B.P.C.L.P. ) |

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

अति. एजेण्डा संख्या-1
1E8/19.01.2011(जोन-6)

विषय:–श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रमन वाटिका [illegible] संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तों के साथ योजना अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

1. सेक्टर प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या 20 ए 21 22, 23, 24, 26, 47, के भूखण्डों के मध्य में से 40 फ.वी. सेक्टर रोड गुजर रही है। इन भूखण्डों के सामने 30' चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है। उक्त सड़क की चौड़ाई को ही सेक्टर रोड मानते हुये 40 [illegible] सड़क के दोनों ओर के भूखण्डों में से 5'-6' भूमि ली जाकर सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की स्थिति में परिवर्तन किया जावे।
2. भूखण्ड संख्या 18, 19, 20, 28, 47 व भूखण्ड संख्या 49, 50, 51, 57, 52बी, 23ए, 52 28, 29, 30,31, 32 के मध्य में सड़क 29'-6' व 34'-6' मौके पर उपलब्ध है। सेक्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 40 दर्शायी है। इस लिए सड़क की चौड़ाई 40' की जावे
3. योजना में आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 रखी जावें।
4. योजना में आवासीय क्षेत्रफल 66.25 प्रतिशत है इसलिए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवासीय क्षेत्रफल में शिथिलता दी जावें।
5. योजना की प्रशासनिक जांच एवं अन्य सम्बंधित बिन्दुओं बाबत् उपायुक्त जोन द्वारा सुनिश्चित की जावे।

D.T.P
ZONE 6

D.C.
ZONE 6